


उ०प्र० सोशल आडिट संगठन
(सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत)


- **गवर्निंग बॉडी** (मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन पदेन अध्यक्ष)
- **कार्यकारिणी समिति** (प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन पदेन सभापति)

संगठन के अधीन सोशल आडिट निदेशालय

निदेशक



**जनपद स्तर पर—
जिला विकास अधिकारी**



विकास खण्ड स्तर पर ग्राम सभा में सोशल आडिट करने हेतु प्रति 10 गा०पं० पर एक 4 सदस्यीय सोशल आडिट टीम।